न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 94/2018 – निगरानी

1. महावीर पिता भंवरसिंह रावणा राजपूत निवासी अण्टाली तहसील आसींद
2. रामदयाल पिता नानूराम सुथार निवासी अण्टाली तहसील आसींद
3. रामदेव पिता घीसू रेगर निवासी अण्टाली तहसील आसींद
4. गणपतलाल पिता रूपालाल नाई निवासी अण्टाली तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. शिवप्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड़ निवासी अण्टाली तहसील आसींद
2. शिवनाथ सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड निवासी अण्टाली तहसील आसींद
3. घनश्याम सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड निवासी अण्टाली तहसील आसींद
4. श्रीमती कौशल्या कंवर पुत्री किशन सिंह राठौड निवासी अण्टाली तहसील आसींद
5. लक्ष्मण कंवर पुत्री किशन सिंह राठौड निवासी अण्टाली तहसील आसींद
6. ग्राम पंचायत अण्टाली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत अण्टाली तह आसींद जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत अण्टाली के द्वारा पत्रावली कमांक 45/19.12.1976 निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 7 द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड के पक्ष में जो पट्टा जारी किया होना बताया है वह नियमों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज स्व० श्री किशनसिंह जी राठौड़ को जिस स्थान का पट्टा जारी किया जाना बताया, उक्त स्थान पर श्री किशन सिंह जी का एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का कोई

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कब्जा ही नहीं है एवं न ही ऐसा कोई भूखण्ड मौके पर ही मौजूद है। विपक्षी ग्राम पंचायत ने तत्समय कोई मौके का निरीक्षण करवाये बिना एवं कब्जे को देखे बिना एवं कोई आपत्ति सूचना जारी किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से जो पट्टा जारी किया जाना बताया है वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड़ एवं पट्टे मे दर्शित तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिंह जी राठौड सगे भाई है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने परिवाजन, रिश्तेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से यह अवैध एवं फर्जी तौर पट्टा जारी किया है जो नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। तथाकथित पट्टे मे जो पड़ौस व नाप वर्णित किये उक्त पडौस व नाप का भूखण्ड मौके पर ही नही है तथा तथाकथित नाप 225 बाई 190 अर्थात् 42750 वर्गफीट के क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार अधिकारों से परे जाकर जो पट्टा जारी किया है, वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज को जो पट्टा जारी किया जाना बताया है वहां वह पडौसो का मौके पर कोई भूखण्ड नही है फिर भी जहां निगराकारान व गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा वर्षो से पक्के मकान, गुवाड़ी व बाड़ा बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उस स्थान का पट्टा बताते हुए एक वादपत्र माननीय सिविल न्यायालय आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हेतु कमिशनर नियुक्त किया गया। जिस पर कमीशनर साहब मौका देखने आये एवं मौके पर प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के मकान गुवाडी, व बाड़े बने होकर उनके द्वारा उपयोग उपभोग किया जाना बतया। पंचायत में तथाकथित पट्टे की कोई पत्रावली व रेकॉर्ड उपलबब्ध ही नही है। वादग्रस्त पट्टे की जायदाद ग्राम अण्टाली तह० आसीन्द में स्थित है। प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज के नाम जो पट्टा पत्रावली संख्या 45 दिनांक 19.12.1976 को जारी होना बताया है, उसे निरस्त किये का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 7 द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड के पक्ष में जो पट्टा जारी किया होना बताया है वह नियमों एवं

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज स्व० श्री किशनसिंह जी राठौड़ को जिस स्थान का पट्टा जारी किया जाना बताया, उक्त स्थान पर श्री किशन सिंह जी का एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का कोई कब्जा ही नहीं है एवं न ही ऐसा कोई भूखण्ड मौके पर ही मौजूद है। विपक्षी ग्राम पंचायत ने तत्समय कोई मौके का निरीक्षण करवाये बिना एवं कब्जे को देखे बिना एवं कोई आपत्ति सूचना जारी किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से जो पट्टा जारी किया जाना बताया है वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड एवं पट्टे मे दर्शित तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिंह जी राठौड सगे भाई है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने परिवाजन, रिश्तेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से यह अवैध एवं फर्जी तौर पट्टा जारी किया है जो नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। तथाकथित पट्टे मे जो पड़ौस व नाप वर्णित किये उक्त पडौस व नाप का भूखण्ड मौके पर ही नही है तथा तथाकथित नाप 225 बाई 190 अर्थात् 42750 वर्गफीट के क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार अधिकारों से परे जाकर जो पट्टा जारी किया है, वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज को जो पट्टा जारी किया जाना बताया है वहां वह पडौसो का मौके पर कोई भूखण्ड नही है फिर भी जहां निगराकारान व गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा वर्षों से पक्के मकान, गुवाड़ी व बाड़ा बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उस स्थान का पट्टा बताते हुए एक वादपत्र माननीय सिविल न्यायालय आसीन्द के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हेतु कमिशनर नियुक्त किया गया। जिस पर कमीशनर साहब मौका देखने आये एवं मौके पर प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के मकान गुवाडी, व बाड़े बने होकर उनके द्वारा उपयोग उपभोग किया जाना बताया। पंचायत मे तथाकथित पट्टे की कोई पत्रावली व रेकॉर्ड उपलबब्ध ही नही है। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज के नाम जो पट्टा पत्रावली संख्या 45 दिनांक 19.12.1976 को जारी होना बताया है, उसे निरस्त किये का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पंचायत अण्टाली द्वारा किशनसिंह के हक विधि सम्मत पटटा जारी किया गया, जो किसी भी कारण से निरस्त योग्य नही है। ग्राम पंचायत अण्टाली के द्वारा पत्रावली कमांक 45 दिनांक 19.12.1976 को समस्त वैधानिक

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रक्रिया अपनाकर 225 गुणा 190 का पट्टा दिनांक 19.12.1976 को पट्टा जारी कर भूखण्ड का कब्जा सोंपा, तब से किशनसिंह जी उनके जीवनकाल में काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी 01 से 05 ने करीब 30 से 35 ट्रोली पत्थर, थोर व कांटो की बाड़ लगाकर चले आ रहे थे। पंचायत ने तत्समय समस्त प्रक्रिया धारा 251 से 266 पंचायत नियम 1961 की सम्यक पालना करते हुए पट्टा जारी किया जो किसी भी रूप में निरस्त योग्य नही है। किशनसिंह व देबीसिंह सगे भाई अवश्य थे, लेकिन देबीसिंह जी गुलाबपुरा में वकालत का कार्य करते थे और ग्राम पंचायत ने समस्त वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर बिना लाभ परिलाभ के नियमानुसार हकदार होने से जवाबदार के पूर्वज किशनसिंह जी को पट्टा जारी किया जो किसी भी रूप में निरस्त योग्य नही है। पंचायत ने विधि सम्मत तरीके से कानून की सीमा के अन्तर्गत पट्टा जारी किया अगर निगराकार को कोई आपत्ति थी तो तत्समय ही करते लेकिन उन्होने जानबूझकर दुर्भावना पूर्वक लगभग 43 वर्ष की लम्बी अवधि गुजारने के बाद यह गलत दावा पेश किया। इस कारण उनका उक्त कथन चलने योग्य नही है और न ही पट्टा निरस्त योग्य है। वादग्रस्त जगह का विपक्षी पिता के नाम पर पट्टा बना हुआ है तथा पास में ही चरागाह भूमि स्थित है। जिसके चारों तरफ अन्य लोगो ने अतिक्रमण किया ओर अतिक्रमण करने के बाद विपक्षी के प्लॉट की तरफ अतिक्रमण करने लगे तो विपक्षी ने इस निगरानी से पूर्व ही श्रीमान सिविल न्यायालय आसीन्द में प्रकरण संख्या 18/2015 पेश कर विपक्षी के कब्जे में दखलन्दाजी न करने व अपने मालिकाना हक की घोषणा करवाने का एक वाद पेश किया। जिसमें यथास्थिति का आदेश लगातार चला आ रहा है। यहां यह भी लिखना उचित होगा कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में एडवोकेट श्री हरिशंकर शर्मा को कमीश्नर जारी किया जिसने मौका देखकर रिपोर्ट पेश की। जिस पर निगराकार गणपतलाल, रामदयाल, महावीर पुत्र भंवरसिंह ने कमीश्नर रिपोर्ट के कब्जे के आधार पर पक्षकार बनने के लिये आवेदन किया तब न्यायालय श्रीमान ने तीनों को प्रकरण में पक्षकार बनाने से मना कर दिया तथा उनका पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। कमीश्नर द्वारा जो रिपोर्ट बनाई उसको भी माननीय श्रीमान सिवील न्यायाधिश महोदय आसीन्द ने अपास्त कर दिया कमीश्नर ने जानबूझकर निगराकार के कब्जे को दर्शित किया। जिससे न्यायालय श्रीमान ने उक्त रिपोर्ट को अपास्त कर दिया। ऐसी सुरत में इस निगरानी में उक्त कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर अपना कब्जा बताकर विपक्षी के पट्टे को निरस्त कराने आये है जो किसी भी

अति जिला कलक्टर.
भीलवाड़ा

रूप में चलने योग्य नही हैं। निगराकार रामदयाल पुत्र नानूराम सुथार जो कि मूलतः प्रतापपुरा का निवासी हैं ओर रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता के मुंशी के रूप में कार्यरत है। उसके द्वारा चरागाह भूमि पर अवैध रूप से पट्टा बनाकर नाजायज रूप से कब्जा करने की कोशीश की ओर अन्य लोगो से भी कब्जा करने की कोशिश करवाई जिससे विवश होकर विपक्षी ने स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद माननीय सिवील न्यायालय आसीन्द में पेश किया जो आज भी लम्बित है। उक्त वाद को विफल करने के उद्देश्य से गैर इरादतन तरीके से यह निगरानी पेश की जो चलने योग्य नही है। निगराकार निगरानी में उल्लेखित दादरसी पाने के अधिकारी नही है। निगराकार की यह निगरानी खारीज होने योग्य है। निगराकार का कोई हित कब्जा व लोकस स्टेण्डी न होते हुए भीयह निगरानी पेश की जो चलने योग्य नही है। निवेदन है कि निगरानी मियाद बाहर होने से एवं सारहीन होने से खारिज की जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2008 (2) डीएनजे राज. 735 एवं 2002(1)DNJ RAJ Page 307तथा 2013(1) RLW Raj page 164 पेश किये।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटा वर्ष 1976 में जारीशुदा हैं। पंचायत मे तथाकथित पट्टे की कोई पत्रावली व रेकॉर्ड उपलबब्ध ही नही है। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ने तत्समय कोई मौके का निरीक्षण करवाये बिना एवं कब्जे को देखे बिना एवं कोई आपत्ति सूचना जारी किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार निगराकार के उक्त कथन में विरोधाभास प्रकट होता हैं, कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त पटटा पत्रावली व पटटा उपलब्ध होना नही पाया गया, तो निगराकार ने बिना पटटा पत्रावली का अध्ययन किये ही किस प्रकार यह कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमों की उल्लघंना की हैं ? इस हेतु निगराकार की ओर से कोई जवाब/प्रमाणिक साक्ष्य व दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार ने पटटे व मिसल की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पटटा वैध है अथवा अवैध, जबकि नियमानुसार Burdon of proof स्वयं निगराकार का होता हैं।

निगराकारान् द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के विरूद्व लगभग 43 वर्ष बाद निगरानी पेश की गयी हैं, जो विधिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 2002(1)DNJ RAJ Page 307तथा 2013(1) RLW Raj page 164 में अंकित अनुसार **"राज्य सरकार**

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के 1994 अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षैत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो इस बीच हुयी अस्पष्टीकृत देरी और तृतीय पक्ष के अधिकारों का सृजन एक महत्वपूर्ण कारक हैं, जो पुनरीक्षण प्राधिकारी के लिए इस क्षैत्राधिकार का प्रयोग करने या न करने का निर्णय लेने में हमेशा महत्वपूर्ण होता हैं। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका दायर करने में संबंधित भूमि पर याचिकाकर्ता के अधिकारों के सृजन के साथ साथ 39 वर्षों से अधिक विलम्ब हुआ, तो यह परिस्थिति प्रतिवादी संख्या 04 को 1994 अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत राहत पाने के अधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त होगी। अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय जयपुर द्वारा 39 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् ग्राम पंचायत हिंगोनियां द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पटटा निरस्त करने में अपनायी गयी विवेकाधिकार की नीति मनमाना हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छैद 14 का उल्लघंन हैं।"

उक्त विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण में भी चस्पा होते हैं। निगराकार की निगरानी पटटा जारी होने के पश्चात् लगभग 43 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी जो अत्यधिक देरी से बिना किसी ठोस कारण के पेश की गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत अण्टाली द्वारा पटटा पत्रावली संख्या 45 दिनांकित 19.12.1976 से जारी पटटे को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अण्टाली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा